इस्लाम धर्म शास्त्र

लेखक : जनाब सैय्यद लियाक़त हुसैन हिन्दी बनारसी
अनुवादक : जनाब सैय्यद जाफ़र असर नक़वी साहब जायसी

आख़िरी क़िस्त

अध्याय–2

रोज़ा (व्रत) का वर्णन

रमज़ान मास के सम्पूर्ण 30 दिन के रोज़े प्रत्येक व्यक्ति स्त्री तथा पुरूष पर अनिवार्य/वाजिब हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार स्त्री 9 वर्ष पर तथा पुरूष 15 वर्ष पर बालिग़ (वयस्क) हो जाता है। रोज़ा रखने का समय प्रातः काल (पौ फटने के पूर्व) से लेकर सांयकाल (पूर्व की लाली छट जाने के पश्चात तथा रात्रि होने के पूर्व जब अंधकार पूर्व दिशा से उच्च होकर सिर से पार हो जाए) तक रहता है।

सुन्नती रोज़े (पुण्य दायक वान्छित):–(1) प्रत्येक मास की 13, 14 तथा 15 तिथियों को (2) प्रत्येक गुरूवार तथा शुक्रवार को (3) रजब तथा शाबान मास में (4) मुहर्रम तथा ज़िलहिज्जा मास के प्रथम 9 दिनों तक। (5) और रबीउल अव्वल मास की 7, 18 तथा 24 तिथियों को इत्यादि।

दुआ–ए–अफ़तारः–दिन भर के रोज़े के पश्चात जब रोज़ा खोला जाता है तो उसको अफ़तार कहते हैं। अफ़तार करते समय यह दुआ पढ़ेः–

"अल्ला हुम्–म लका सुम्तु व अला रिज़्क़ि–क अफ़तर्तु व अलै–क तवक्कलतु"।

व्रत (रोज़ा) को भंग करने वाली वस्तुऐं

(1) किसी वस्तु का खाना या पीना या सूंघना या धूम्रपान करना (2) जान कर या किसी प्रकार वीर्यपात करना (3) स्त्री तथा पुरूष के परस्पर सम्भोग करने पर (इसमें अप्राकृतिक मैथुन भी सम्मिलित है) (4) प्रातः काल तक स्वप्नदोष की दशा में रहना तथा गुस्ल न करना। (5) धूम्र, धूल तथा वाष्प इत्यादि का हलक के भीतर प्रवेश करना (6) जान बूझकर वमन (क़ै) करना। (7) पानी में सिर डुबोना। (8) अल्लाह से सम्बन्धित झूट बोलना तथा झूठी सौगन्ध लेना।

व्रत से वंचित (छूट पाये हुए) व्यक्ति

(1) अत्याधिक वृद्ध स्त्री तथा पुरूष (2) रोगी (3) गर्भवती स्त्री (4) आया (वे दाई जो अपना दूध बालाकों को पिलाती हैं) (5) मासिक धर्म तथा प्रजनन रक्त से पीड़ित स्त्रीयां (6) वह यात्री जिसपर संयोगवश यात्रा करना अनिवार्य है।

नोटः–इन समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने पर रोज़ा का क़ज़ा (फिर से छूटे हुए रोज़े पूरे करना) अथवा कफ़्फ़ारा (दण्ड) देना अनिवार्य है। अर्थात् जो असमर्थ हो वह इस प्रकार कफ़्फ़ारा दे कि एक व्यक्ति के एक दिन के भोजन के हिसाब से जोड़ कर 30 दिन तक का गेहूं (उचित पात्र को) दे अनाज अथवा उसका मूल्य देना अनिवार्य है। (कफ़्फ़ारे की व्याख्या के लिए आप जिसकी तक़लीद में हों उसका अमलिया या तौज़ीहुल मसायल देखें या उससे मालूम करें)

अध्याय–3

हज (तीर्थ यात्रा) का वर्णन

जिन 'में यह बातें हो उन पर हज वाजिब है (1) व्यस्क होना (2) पागल न होना (3) स्वतन्त्र होना (किसी का दास न होना) (4) सामर्थ होना (अपने और अपने आश्रितों के साल भर के ज़रूरी खर्चे के बाद इतना धन हो कि हज का आना जाना रहने, सहने और खाने आदि के ज़रूरी खर्चे पर्याप्त हों) (5) स्वस्थ होना (6) मार्ग में जीवन तथा धन के नष्ट होने का भय

न होना (7) मक्का तक पंहुचने का समय शेष होनां समस्त जीवन काल में एक बार हज करना अनिवार्य है।

विधिः—8 जिलहिज को प्रथम एहराम बांधा जाता है (लुंगी, कफ़न, चादर) फिर सात बार खाना—ए—काबा का तवाफ़ (चारों ओर चक्कर काटना/परिक्रमा) करे। तत्पश्चात मुक़ामे इब्राहीम में दो रकत नमाज़ पढ़ी जाती हैं फिर सात बार 'सफ़ा' तथा 'मर्वा' पर्वत श्रेणी (पहाड़ियों) के मध्य 'सई' (आना तथा जाना) की जाती है। फिर अपने केश तथा नख काटे। फिर 9 ज़िलहिज्जा को 'अरफ़ात' (मक्का से 15 किलोमीटर दूर) के मैदान में जाकर दोपहर से सायंकाल तक रहे और दुआ मांगे। फिर वहां से सायंकाल मशअरूलहराम में आकर मग़रिब तथा इशा की नमाज़ पढ़े और रात्रि वहीं व्यतीत करे। फिर 10 ज़िलहिज्जा को सूर्योदय होने पर 'मिना' में आये और 'जमरा' 'अक़वा' (शैतान) पर कंकरी मारे। कुरबानी करे। फिर हाजी मक्का में आकर तवाफ़ ज़ियारत व नमाज़ ज़ियारत पढ़े फिर 'सफ़ा' तथा 'मरवा' के बीच सई करेगा, 11 तथा 12 ज़िलहिज्जा को रहकर जमरात मलासा को कंकरी मारे और मिना की प्रक्रिया समाप्त करने पर हज का कार्य समाप्त हो जाता है। 12 ज़िलहिज्जा को तवाफुन्निसां करना और दो रकात नमाज़ तवाफुन्निसां पढ़ना अनिवार्य है।

हज करने के पूर्व अथवा हज के पश्चात समस्त हाजी गण मदीना में मुहम्मद साहब तथा ब़कीय एंव शुहदाए—ओहद में नबी स0, इमामों तथा अन्य शहीदों एंव जनाबे फ़ातिमा की क़ब्र की ज़ियारत करते हैं। और अधिकांश हाजी जाते तथा आते समय विभिन्न इस्लामी देशों में मुख्य, मुख्य पैग़म्बरों तथा इमामों की क़ब्रों, पवित्र तथा ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन भी कर लेते हैं। जिन देशों के विशेष स्थान दर्शनीय हैं। वे निम्न हैंः—

ईरानः—मशहद, कुम, तेहरान, दामग़ात, सब्ज़वार, नैशापूर इत्यादि।

इराक़ः—कर्बला—ए—मुअल्ला, नजफ—ए—अशरफ, कूफ़ा, सहला, काज़िमैन, बग़दाद, मदायन, सामिरा, वलद, मुसय्यब, हिल्ला, उरजंकशन, बसरा, मूसल इत्यादि।

सीरियाः—हलब, दमिश्क़ इत्यादि।

फ़िलिस्तीनः—बैत—उल—मुक़द्दस, यरूशलम इत्यादि।

हेजाज़ः—मक्का में रूकन—ए—यमानी, खाना—ए—काबा, मस्जिद—उल—हराम, हज्र असवद, चाहे ज़मज़म, इब्राहीम का स्थान, हिरा (एक पहाड़ी), ग़ार—ए—सौर, सफ़ा तथा मर्वा (पर्वत श्रेणी) मिना, मशअरूल हराम, मदीना में रौज़ा—ए—रसूल, मस्जिद—ए—नबवी, जन्नतुल बकी, (क़ब्रस्तान), बद्र, हुनैन, ख़ैबर इत्यादि।

अध्याय—4

ज़कात (दान) का वर्णन

विदित हो कि 9 वस्तुओं पर ज़कात देना अनिवार्य हैः—

(1) सोना (2)चांदी (3) गेहूं (4) जौ (5) खुर्मा (6) मवेज (मुनक्क़ा) (7) गोस्फ़न्द (भेड़) (8) शुतुर (ऊंट) (9) गऊ।

शर्तः—(1) सिक्का दार (मुद्रा) हो (2) मेक़दारी निसाब (निम्नतम मात्रा) (3) 11 मास तक मुद्रा के रखे रहने पर ज़कात वाजिब है।

ज़कात लेने वालेः—(1) फुकरा (भिक्षुक) (2) मसाकीन (दीन/दरिद्रं जो) (3) जिनको हाकिम—ए—शरा (धर्मस्वामी) ज़कात वसूल करने पर नियुक्ति करे (4) जो काफिर जिहाद के समय मुसलमानों की सहायता करे (5) दास एंव दासी (गुलाम और कनीज़) जो अधिक कष्ट में हों (6) ऋणी व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने से असमर्थ हो। (7) मस्जिद, पुल तथा पाठशाला के निर्माण में (8) उचित यात्री जो मार्ग में पड़ा हो और यात्रा से लौटने के लिए मार्ग व्यय न रखता हो।

ज़कात फितरा (ईद का दान)ः—रमज़ान के पश्चात ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने से पूर्व अपना तथा अपने बाल बच्चों की ओर से प्रत्येक व्यक्ति का) (सवा तीन सेर/लगभग 3 किलो) अन्न अथवा उसका मूल्य जोड़कर दीन, हीन तथा जो उसका भागी हो उसे देना आवश्यक है।

अध्याय—5

खुम्स (पांचवां भाग) का वर्णन

निम्न सात वस्तुओं में उसका पांचवां भाग दान करना अनिवार्य हैः—

(1) माल—ए—ग़नीमत (जो धन जिहाद में हाथ लगा हो) (2) खनिज पदार्थ (3) नदी में डुबकी लगाकर निकाले हुए मूंगे, तथा मोती इत्यादि (4) वह अनुचित धन जो उचित धन में सम्मिलित हो जाए (5) जो भूमि

मुसलमान से काफिर ज़िम्मी खरीदे (6) ख़ज़ाना तथा गड़ा हुआ धन रूपिया तथा अशरफ़ी (7) व्यापार, उद्योग, खेती तथा अन्य व्यवसाय से जो लाभ हो और साल भर तक व्यय करने के पश्चात जो बच रहे उसपर।

खुम्स का व्ययः—खुम्स का आधा धन इमाम अलैहिस्सलाम का हक़ है। शेष आधा सादात (सय्यद) तथा मोमिन (ईमान वाले) अनाथ, मिस्कीन (जो अपना तथा अपने बाल बच्चों का साल भर का व्यय न रखते हों) तथा उचित यात्रा के विवश यात्रियों का हक़ है।

अध्याय–6
जिहाद (धार्मिक युद्ध/संग्राम) का वर्णन

जिहाद अनिवार्य है। यह पैग़म्बर तथा इमाम की आज्ञा से धर्म का प्रचार करने अथवा सत्य धर्म (इस्लाम) की रक्षा के लिए काफ़िरों नास्तिकों से किया जाता है।

ईश्वार के आदेश

(1) वाजिब (अनिवार्य) :— उसे कहते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य हो। और पालन न करने से दण्ड का भागी हो। जैसेः— रोज़ा, नमाज़, ज़कात इत्यादि।

(2) हराम (निषिद्ध) :— उसे कहते हैं जिसके करने से मनुष्य नरक का भागी हो जाये। जैसे मदपान करना, जुआ खेलना अनुचित धन बटोरना, चोरी करना बलात्कार करना इत्यादि।

(3) मुस्तहब (वान्छित/चाहे हुए) :— उसे कहते हैं जिसके करने से मनुष्य पुण्य का भागी हो और न करने से दण्ड का भागी भी न हो। जैसे दुआ (प्रार्थना) करना पढ़ना इत्यादि।

(4) मकरूह (अवान्छित/अनचाहे) :— उसे कहते हैं। जिसका करना गुनाह नहीं है परन्तु न करना अच्छा है। अर्थात् वे कार्य जिनके करने से मन विचलित होता हो और खिन्नता उत्पन्न होती हो जैसेः— भूख से अधिक भोजन करना, कड़ी धरती पर मूतना इत्यादि।

(5) मुबाहः— उसे कहते हैं जिसका करना और न करना समान हो।

शौच के नियम

(1) वाजिबः— (1) ना महरम (जिन से पर्दा किया जाता है) से आगा पीछा छुपाना (2) शौच के समय काबा की ओर मुख न करे (3) मुत्र करने के पश्चात मूत्रस्थान को जल से धोकर पवित्र करे।

(2) हरामः— (1)मलद्वार को सूखे गोबर से साफ़ करना (2) खाद्य पदार्थ अर्थात् फल, मेवा इत्यादि से शौच के पश्चात मलद्वार को पोछकर पवित्र करना (3) हड्डी से पवित्र करना (4) ऐसे काग़ज़ से पोछ कर पवित्र करना जिस पर धार्मिक वाक्य लिखे हों (5) उस हाथ से धोना जिसमें ऐसी अंगूठी हो जिसपर पूजनीय महापुरूषों (इमाम रसूल इत्यादि) के नाम अंकित हों।

(3) सुन्नतः— (1) ऐसे स्थान पर बैठे कि दूसरा देख न सके (2) शरीर का बोझ बायें पैर पर हो इस्तिबरा करे अर्थात् मलद्वार के स्थान से लेकर लिंग की जड़ से ऊपरी भाग तक तीन बार सौंत कर झाड़ दे (3) प्रथम मलद्वार पवित्र करे तत्पश्चात मूत्र का स्थान पवित्र करे।

(4) मकरूहः— (1) सूर्य तथा चन्द्रमा की ओर मुख अथवा पीठ करके बैठना, (2) दाहिने हाथ से मल द्वार तथा मूत्र स्थान को धोकर पवित्र करना (3) कड़ी भूमि पर तथा चूंटी, कीट आदि की बिलों में मूतना (4) मार्ग पर तथा घाट पर शौचना इत्यादि। (इमामिया मिशन लखानऊ, 560 मुहर्रम 1389/1969ई0)

ईद

अल्लामा नज्म आफ़न्दी मरहूम

ईद उसकी है मुहब्बत जिसको सोज़ो साज़ दे
ईद उसकी है जिसे एहसासे ग़म आवाज़ दे।
जिसका रोज़ा बे सरो सामाँ का हो सामाँ तराज़
जो यतीमों से गले मिलना समझता हो नमाज़।